

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

रामचन्द्र पुत्र मालीराम जाट मउ बनाम धर्मेन्द्र पुत्र शंकरलाल जाट वगै०

किस्म मुकदमा:- विविध कैवियट प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर: 107/2024

18-10-24

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये |
|-------------|---|--|
| 18.10.2024  | <p>प्रार्थी की ओर से श्री साँवर मल महला एड० के द्वारा प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 02.02.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश की गई थी। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को न्यायालय में पेश हुए 90 दिवस से भी अधिक का समय हो चुका है। जिसके कारण उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से इस कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फैसल किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"><br/>( अनिल कुमार )<br/>उपखण्ड अधिकारी<br/>श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p> |  |

